न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

नाम पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी, तहसीलदार माण्डलगढ

प्रकरण संख्या 04/2018

दायर दिनांकः 07.08.2018

उनवान

1. कैलाशचन्द्र पिता जडाव चंद सोनी उम्र वालिग निवासी 86 मेन सेक्टर शास्त्री नगर भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. प्रकाशचन्द्र पिता स्व0 चांदमल सोनी उम्र वालिग निवासी माण्डलगढ हाल निवासी 1—(यू) 11 आर.सी. व्यास कोलोनी भीलवाडा जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1. सुगनचंद पिता धूलचंद जैन शाह निवासी नई आवादी माण्डलगढ बिजौलिया क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने माण्डलगढ
2. मुबारिक उर्फ पप्पू पिता अब्दूल हकीम मुसलमान निवासी नई आवादी माण्डलगढ
3. अमोलक चंद्र पिता सोहनलाल गोधा निवासी नई आवादी माण्डलगढ अध्यक्ष, दिगम्बर पदम प्रभु दिगम्बर जैन मन्दिर चौराहा माण्डलगढ
4. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका माण्डलगढ

विपक्षीगण

अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 91—90(ए) रा0ले0एक्ट

उपस्थितः—

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य :— अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री महेश चंद्र सुखवाल :— अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 09.10.2020

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 19.07.2018 को जरिये अधिवक्ता महेशचद्र सुखवाल एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व सहखातेदारो के खाते की भूमि ग्राम माण्डलगढ की आराजी नं. 385 रकवा 2.02 वीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण सहखातेदारो ने उक्त भूमि विपक्षीगण को विक्रय, भेट, लीज लाईसेन्स या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही की है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण ने अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय अथवा वाणिज्यक प्रयाजनार्थ संपरिवर्तन नही करवाया है विपक्षीगण को इस भूमि पर निर्माण कार्य करवाने का अधिकार नही है। प्राथीगण ने दिनांक 18.12.2017 को एस.डी.ओ. सा0 के आदेश से पत्थरगढी करवाई तो जानकारी हुई कि प्रार्थीगण व सह खातेदारों की उक्त कृषि भूमि पर विपक्षीणो द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर मन्दिर, रोड, चार दुकानों व चार दीवारी का निर्माण कर दिया है अतः विपक्षीगणो द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावें। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2069—72 की नकल, दिनांक 18.12.2017 को करवायी पत्थरगढी का मौका पर्चा की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणो की ओर से अधिवक्ता गिरधारी लाल आचार्य ने दिनांक 28.09.2018 अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगणों की ओर से दिनांक 22.10.2018 को विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी नं. 385 नगरपालिका माण्डलगढ की घनी आवादी के मध्य स्थित है व विधिक प्रावधानो के तहत धारा 90 ए राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र मे चाहे किसी भी प्रकार की भूमि स्थित हो तहसील

तहसीलदार माण्डलगढ

Scanned with CamScanner

कार्यालय को कार्यवाही करने का अधिकार नही है अर्थात धारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत किसी काविज व्यक्ति के विरूद्व तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा सकती है तथा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत भी विपक्षीगणों को अतिक्रमी माना जाकर दण्डित नही किया जा सकता है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को प्रारंभिक स्टेज पर ही ड्रोप फरमायी जावें। विधिक आपत्ति को शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षीगणों की ओर से प्रस्तुत विधिक आपत्ति का जवाब प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 07.01.2019 को अधिवक्ता महेश चंद्र सुखवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होकर प्राथीगण की सहखातेदारी भूमि है जिसका नियमानुसार अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नही हुआ है। विपक्षीगणों ने अवैध निर्माण किया है विपक्षी गण अतिक्रमी है। न्यायालय श्रीमान को अवैध निर्माण को घ्वस्त करने का और अतिक्रमियों को वेदखल करने का पूर्ण अधिकार होकर न्यायालय श्रीमान के अधिकार क्षेत्र मे है। अतः विपक्षीगणों द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति को खारिज फरमाया जावें।

हमने विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत विधिक आपत्ति, जवाब प्रार्थना पत्र, मूल प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही का प्रश्न है तो इस संवन्ध मे विपक्षीगणों की विधिक आपत्ति से हम पूर्णतया सहमत है कि न्यायालय तहसीलदार अन्तर्गत धारा 90 ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम कार्यवाही करने हेतु सक्षम नही है। इसी प्रकार किसी की निजि खातेदारी भूमि मे अतिक्रमण पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत न्यायालय तहसीलदार को कार्यवाही करनें का अधिकार नही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है तो इसके लिए प्रार्थीगण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 183 के तहत सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही करवाना चाहते है तो इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका माण्डलगढ को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक विधिक आपत्ति को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 ए, 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, मय सम्पूर्ण मूल पत्रावली को इसी स्टेज पर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका माण्डलगढ़ को प्रेषित करना उचित समझते है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

अतः मूल पत्रावली प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका माण्डलगढ को प्रेषित की जावें।

(सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
तहसीलदार माण्डलगढ़

तहसीलदार माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner